जनपद हमीरपुर

थाना-बिवांर **दिनांक 06.09.2026**

थाना बिवांर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग की धारा 74/115(2) BNS व 9(c)(f)(m)/10 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 01.09.2026 को वादी द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार प्रजापति (सहायक अध्यापक) द्वारा वादी की पौती उम्र करीब 11 वर्ष व उम्र करीब 09 वर्ष के साथ प्राथमिक विद्यालय में छेड़खानी करने के सम्बन्ध में सूचना दी। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिवांर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर धारा 74/115(2) BNS व 9(C)(F)(M)/10 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियोग उपरोक्त नामजद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 06.09.2026 को थाना बिवांर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र कल्लू (उम्र करीब 39 वर्ष) निवासी ग्राम खंडेह थाना मौदहा जनपद हमीरपुर खिरवा तिराहे टावर के पास ग्राम निवादा थाना बिवांर जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र कल्लू (उम्र करीब 39 वर्ष) निवासी ग्राम खंडेह थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी का स्थान-

खिरवा तिराहे टावर के पास ग्राम निवादा थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

पुलिस टीम-

1.उ0नि0 रोहित कुमार

2.का0 अभिषेक कुमार